जे एस टी

समक्ष एस एस सोढी और जी सी गर्ग , जे जे

हिन्दु उच्चतम माध्यमिक विधालय , कैथल --अपीलार्थी

बनाम

हरियाणा राज्य वा अन्य - उत्तरवादीगण

संषोधित पहचान चिन्ह याचिका न.1287 आफ 1990

30 सितम्बर 1991

हरियाणा सरकारी सहायता प्राप्त विधालय (सुरक्षा की सेवा)नियम 1974 आर आई 8- भारत का संविधान 1950-आर्टिकल 226- सेवा की समाप्ति परिवीक्षा अवधि के दौरान विधार्थीयों की संख्या में कमी, अपीलीय प्राधिकरण ने पाया कि विधार्थीयों की संख्या में कोई कमी नहीं है। पोस्ट समाप्त नहीं की गई। रिकार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वादी बहुत ज्यादा जुनियर अध्यापक था।

बर्खास्तगी अवैध है

प्राधिकारी का आदेष जिसमें परिणामी लाभों को बरकरार रखते हुए बहाली का निर्देष दिया गया है। माना गया कि षिक्षकों के पदों में कोई कमी नहीं की गई,यहां तक कि प्रतिवादी धारित पद को भी समाप्त नहीं किया गया । छात्रो की संख्या में गिरावट के कारण षिक्षकों को कम करना अनिवार्य हो गया, पदों को समाप्त करना स्पशट रूप से एक षर्त होगी रिकार्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है कि प्रतिवादी वास्तव में सबसे कनिश्ठ षिक्षक था या धारा 29 से घटाकर 27 करने से अनिवार्य रूप से उस पर गाज गिरनी थी इसलिए, जैसा कि दावा किया गया है, स्कूल को कोई राहत नहीं दी गई है और अपील खारिज कर दी गई है ।

पैरा 6,7, एवंम 8

हिन्दु उच्चतम माध्यमिक विधालय , कैथल बनाम

दी हरियाणा राज्य वा अन्य (एस.एस. सोढी, जे)

संषोधित पहचान चिन्ह याचिका अधीन खण्ड 10 पहचान चिन्ह अधिनियम विरूद्व फैसला माननीय श्री जस्टिस के पी भंडारी , पासकर्ता इन सी डब्ल्यू पी नम्बर 323 आफ 1982 निर्णय दिनांक 16.11.1990

ए सी जैन वकील (श्री मनीश जैन, वकील उसके साथ) अपीलार्थी के लिए

पी एस पटवालिया वकील (मैसर्ज गुरप्रीत सिंह गिल और अनुज रौरा और एच एस सेठी वकील) उत्तरवादी के लिए

निर्णय

एस एस सोढी जे

1. यहां मामला हिन्दु हायर सेकेंडरी स्कूल कैथल में एक षिक्षक की परिवीक्षा अवधि के दौरा इस आधार पर सेवा समाप्त करने से संबधित है कि उनकी सेवाओ की कोई आवषयकता नहीं हथी न कि उनका काम और आचरण संतोशजनक नहीं था हरियाणा सहायता प्राप्त विधालय (सेवा की सुरक्षा) 1971 के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम स्वीकार्य रूप से लागू होते हैं।

2. 10 दिसंबर 1979 को, चयन समिति द्वारा विधिवत चयनित होने के बाद, प्रतिवादी श्री राम कुमार षर्मा को सामाजिक अध्ययन मास्टर नियुक्त किया गया नियुक्ति की षर्तो के

अनुसार उन्हे इसकी समाप्ति से पहले दो की अवधि के लिए कोई परिवीक्षा नहीं दी जानी थी। हालांकि , इस अवधि के दौरान 2 मई 1981 के आदेष (अनुलग्नक पी/3)द्वारा उनकी सेवाओं को इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि अब उनकी आवषयकता नहीं है।यह आदेष स्कूल की प्रबंध समिति के 30.1981 के संकल्प (अनुलग्नक पी/2)के अनुसरण में पारितकियागया था जो इस प्रकार हैः-"चूंकि स्कूल में छात्रों की सुख्या में की हो रही है इसलिए सर्व सम्मति से निर्णय किया गया कि श्री राम कुमार षर्मा सबसे जुनियर एस एस मास्टर को एक महीने का समय दिया जाए और तदनुसार कार्यमुक्त किया जाए।"

3. श्री राम कुमार षर्मा प्रतिवादी ने जिला षिक्षा अधिकारी को अपनी सेवा समाप्त करने का प्रतिवेदन दिया उन्हे कोई राहत नहीं दी गई , उसके बाद स्कूल षिक्षा निदेषक हरियाणा के समक्ष गए, अधीन दी हरियाणा सहायता प्राप्त स्कूल (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम 1971 और उसके तहत नियमों के तहत ,अपील की सुनवाई के अधीन इस प्रकार निर्देषित किय जाने पर दोनों श्री राम कुमार षर्मा और विधालय के प्रबन्धक दोनो व्यक्तिगत रूप से अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए ।ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बताने के लिए पूछे जाने पर कि किन परिस्थितियों में श्री राम कुमार षर्मा की सेवाएं समाप्त कर दी गई, की गई कारवाई के समर्थन में कोई कारण बताने के बजाय, स्कूल ने इस रूख से संतुश्ट होने की कोषिष की कि हरियाणा सहायता प्राप्त विधालय (सेवा की सुरक्षा) नियम प्रबंधन सेवारत प्रतिवादी की छूट देने के लिए पूरी तरह से सक्षम था क्योंकि वह अभी भी परिवीक्षा पर काम कर रहा था ।श्री राम कुमार षर्मा की सेवा समाप्ति को तुरन्त रदद कर दिया गया और प्रबंधन को तुरन्त सेवा मंे बहाल करने का आदेष दिया गया और हरियाणा के स्कूल षिक्षा निदेषक का यह आदेष जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में चुनौती देने की मांग की गई है।

4. यहां अपील में स्कूल के वकील श्री ए सी जैन का स्पशट रूख था कि श्री राम कुमार षर्मा की सेवाएं इसलिए नहीं समाप्त की गई हैं क्योंकि उनका काम और आचरण संतोशजनक था बल्कि अनिवार्य कमी प्रदान करने वाले छात्रों की संख्या में कमी के कारण समाप्त किया गया था। षिक्षकों की ताकत इस सबंध में यह दावा किया गया कि श्री राम कुमार ष्र्मा षिक्षकों के बीच जुनियर थे इनमें कोई भी दलील नहीं कर सकती।हालंाकि जांच।

5. यह निसंदेह सही है कि राम कुमार षर्मा की सेवाएं समाप्त करने का कारण विधालय माना के संकल्प (परिषिश्ट पी-2) में विधार्थियों की संख्या में कमी का उल्लेख किया गया था, लेकिन श्री एम एल गुप्ता प्रिसंपल के षपथ पत्र का संदर्भ दिया गया था 17 जुलाई 1991 केे स्कूल से पता चलता है कि अप्रैल 1979 में 1753 तक पहुंचने के बाद अप्रैल 1980 में बढ गई हांलाकि इस अवधि में अगले वर्श यानी सितंबर 1980 हालांकि मार्च 1981 में यह घटकर 1751 हो गई और 1981 में 118 हो गई हांलाकि मई में यह संख्या फिर से बढकर 1525 और फिर उसी वर्श जुलाई में 1833 हो गई। ये आंकडे अपनी बात कहते हैं,यह ध्यान देने वाली बात यह है कि एस पी के बावजूद इस न्यायालय का विचार मा. 30.1991के आदेष से, कोई सूचना नहीं संस्करण में अनुभागों के संबंध में स्कूल द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रासंगिक अवधि के दौरान, स्कूल ने कक्षाओं के सैक्षनस की कोई सूचना नहीं दी गई लेकिन गांरटी देता है स्कूल के खिलाफ निश्कर्श|

प्रबन्धक समिति दयानंद महिला महाविधालय , कुरूक्षेत्रा और अन्य बनाम श्रीमति षारदा रानी वा अन्य

(एस एस सोढी जे)

6. भौतिक महत्व की दूसरी बात जो ध्यान आकर्शित करती है वह यह है कि षिक्षकों के पदों में कोई कटौती नहीं की गई या श्री राम कुमार षर्मा के पद को भी समाप्त नहीं किया गया । यदि वास्तव में, छात्रों की कमी के कारण षिक्षकों की संख्या कम करना अनिवार्य हो जाता है , तो पदो को समाप्त करना स्पश्ट और स्वाभाविक परिणाम होगा, अपीलकर्ता के वकील के पास किसी भी पद को समाप्त ना करने के लिए कोई स्पश्टीकरण नहीं था।

7. इसके अलावा, अपीलकर्ता स्कूल के वकील यह दिखाने के लिए रिकार्ड पर किसी भी सामग्री को इंगित करने में असमर्थ थे कि श्री राम कुमार षर्मा वास्तव में सबसे कनिश्ठ षिक्षक कैसे थे या धारा 29 से घटाकर 27 करने के बावजूद भी , जैसा कि उल्लेख किया गया है याचिका , यह उस पर थी, कि कुल्हाडी अनिवार्य रूप से गिरनी थी ।

8. ऐसी परिस्थितियां होने पर, दावे के अनुसार स्कूल को कोई राहत देने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। यह अपील एतदवारा क्रमषः 1000/- रूप्ये लागत के साथ खारिज की जाती है ।

9. इसके अलावा स्कूल प्रबंधन कोश्री राम कुमार षर्मा को उनके वेतन और भत्तों के सभी बकाया का भुगतान 7 अक्टुबर 1991 को या उससे पहले करने के लिए एक और निर्देष जारी किया जाता है।

आर एन आर

समक्ष: एस एस सोढी और जी सी गर्ग जे जे

प्रबन्धक समिति दयानंद महिला महाविधालय , कुरूक्षेत्रा और अन्य बनाम श्रीमति षारदा रानी वा अन्य -- अपीलार्थी

बनाम

श्रीमति षारदा रानी वा अन्य -- उत्तरवादीगण

1991 का पत्र पेटैंट अपील संख्या 921

30 अक्टुबर 1991

(एस एस सोढी जे)

भारत का संविधान 1950- अनुच्छेद 226 नियुक्ति-इस्तीफा-पद की पेषकष-डी एम एम कुरूक्षेत्र में मनोविज्ञाान में व्याख्याता के पद का विज्ञापन -साक्षात्कार आयोजित करने के बाद, प्रतिवादी का चयन किया गया और चयन सूची में उसे नंबर 2 पर रखा गया -अभ्यर्थी को नंबर 1 पर रखा गया। हालांकि वह ए एम एम भिवानी में व्याख्याता के रूप में काम कर रही थी, लेकिन उसने केवल अपना नया कार्यभार ग्रहण किया तीन दिन और उसके बाद इस्तीफा जमा करना - ऐसे पद पर नियुक्ति - डी आर (कालेज)निर्देष जारी कर रहे हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अक्षय अरोड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी हरियाणा